25-09-25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। उन्हें सुना गया। उन्होंने अवगत कराया कि वाके ग्राम सैंधली की आराजीयात में प्रार्थी का नाम चतुर्भुज के स्थान पर चतरन व चतरा राजस्व कर्मचारियों की सहवन गलती से दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, लेटर पैड सरपंच ग्राम पंचायत सैंधली, जमाबंदी संवत 2075-78 वाके मौजा भुसावर फ्रीज में सही नाम चतुर्भुज दर्ज है अतः प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जावे।

हमने बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भलीभाँति अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम नाम शुद्ध किए जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ. ख. नं. 158, 376, 377, 378, 65, 72, 75, 80, 81, 83, 94, 95, 200, 201, 222, 235, 236, 357, 358, 375, 379, 380, 381, 397, 398, 424, 436, 437, 617, 643, 644, 299, 288 वाके ग्राम सैंधली तह भुसावर में प्रार्थी का चतरन व चतरा के स्थान पर चतुर्भुज दुरुस्त राजस्व रिकॉर्ड किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.09.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
भूसावर (भरतपुर) राज॰